सं. ए.12018/05/2022-डीआरएस-भाग (X)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषध विनियमन अनुभाग)

*****

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला (सीडीटीएल), मुंबई, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमावली का मसौदा तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या **drugdiv-mohfw@gov.in** पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्त

(विकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-23061141

अधिसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निम्न श्रेणी लिपिक	* 4 *1992- कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल -2 (19900-63200 रु.)	अचयन	वर्ष 27 वर्ष से 18की आयु के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित तारीख के अनुरूप होगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहां आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी)

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से समतुल्य अर्हता की 12वीं कक्षा (ii) मेनुअल टाइप राइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड अथवा कम्प्युटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड	हां, कॉलम 10 में इंगित सीमा तक	दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति /	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।		
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85% एसएससी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ('एसएससी के माध्यम' से शब्द को हटाया जा सकता है जहां पर भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं होती हैं) (ii) 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, 1800 रु. के ग्रेड पे में समूह-ग कर्मचारियों और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने या समकक्ष अर्हता है और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है में से भरी जाएगी परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष)	(i) 10% रिक्तियों विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर, 1800 रु. के ग्रेड पे में समूह ग कर्मचारियों और जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने या समकक्ष अर्हता है और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है में से भरी जाएगी परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 50 वर्ष (ii) 5% रिक्तियां समूह ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वास्थ्य के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने (18000/56900 रु.) के वेतन स्केल के साथ पे लेवल I के पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।	<u>पदोन्नति पर विचार करने हेतु समूह ग विभागीय पदोन्नति समिति</u> 1. निदेशक, केंद्रीय औषध प्रयोगशाला, बम्बई-अध्यक्ष 2. उप औषध नियंत्रक (भारत) केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, वेस्ट जोन, बम्बई- सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यालय/प्रयोगशाला का समूह क अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं

टिप्पणी: खंड के तहत यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है। (ii) परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर अनुवर्ती वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाए। (iii) 5% रिक्तियां समूह-ग कर्मचारियों में से वरिष्ठता एवं स्वास्थ्य के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने वेतनमान (18000/56900 रु.) के साथ पे-लेवल-1 के पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।			

[एफ.सं.ए.12018/05/2022-डीआरएस-पार्ट(X)]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार